



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्था)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

(An autonomous organisation under Ministry of Education, Govt. of India)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

Date: 07-09-2023

No.17-3/2019/(A&F)/MSRVVP

OFFICE MEMORANDUM - 1295

Subject: Constitution of Food Committees in financially-aided Veda Pathashalas/ Vidyalayas – their functions and responsibilities.

Attention of the Management Committees of all the Veda Pathashalas/Veda Vidyalayas, financially assisted by the Pratishthan, is invited to Pratishthan's Office Order/Memorandum of even No. dated 11-03-2022 and 24-05-2023 on the subject mentioned above.

The Government of India provides stipend of Rs. 3500/- per month per student to the management of the Veda Pathashalas towards maintenance cost of the aided Veda students in the financially assisted Veda Pathashalas under the MSRVVP. The stipend amount includes cost of provision for food (breakfast, lunch, afternoon snacks and dinner), accommodation, clothing and other misc. expenses of the students.

Periodic reviews conducted by the Pratishthan at several Veda Pathashalas/GSP Units have revealed that though the conditions in the Veda Pathashalas/Veda Vidyalayas have somewhat improved, there is still scope for further improvement and better utilization of the available resources.

Quality of food and accommodation being provided by the Management of the several Veda Pathashalas/GSP Units is still not satisfactory and not commensurate with the financial assistance per student being provided by the Government/MSRVVP. It is observed that the Food Committees in some of the Veda Pathashalas/Veda Vidyalayas have not taken up their responsibilities with sincerity and commitment and have not ensured the quality as well as quantity of food being served to the students. Every day the respective Food Committee must check the quality and quantity of food and certify on the vouchers for purchases of grocery, vegetables, milk etc., commensurate with the ideal requirement for the number of students in the Vidyalayas.

It is once again brought to the notice of the management of the Veda Pathashalas/Veda Vidyalayas in general and the Food Committees in particular to look into the aspect of proper utilization of the maintenancestipend amount of the students for the purposes for which they are sanctioned. **The standards specified in OM dated 24-05-2023 must be adhered to.**

Further, the Management of the Veda Pathashalas/Veda Vidyalayas are advised to make the Food Committees responsible also for the contingency grants released by the Pratishthan. The Management of the Vidyalayas must ensure utilization of the contingency amount through the Food Committees and utilize their services for making all purchases through a committee system.

दूरभाष (0734) 2502266, 2502254, 2502255


E-mail : msrvvpunj@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in

In addition to the items that have been specified in earlier instructions of the Pratishthan, contingency grant may also be utilized for provision of aqua guard for safe drinking water, first-aid box for emergency medicines, one computer and printer for office use, maintenance of hygienic condition in the premises and other miscellaneous expenses relating to maintenance of the Veda students. All such expenses must be carefully incurred and monitored by the Food Committee under their joint responsibility.

As per instructions of the Governing Council surprise inspections will be conducted from time to time. Failure to ensure proper facilities and ideal settings for Veda studies of the students will make the Pathashalas/GSP Units liable to forfeit the financial assistance from MSRVP.

As far as the GSP Units are concerned, all the above conditions are applicable except the constitution of the Food Committee and the respective Veda Gurus of the Units will be treated as the Management.

This is brought to the notice of all the Management Authorities of the Veda Pathashalas/ Veda Vidyalayas/ Units and all the teachers through this notification for necessary action and compliance.



(Prof. Viroopaksha V. Jaddipal)
Secretary

To be uploaded on Pratishthan's website for information of All Concerned.

प.सं. 17-3/2019(प्र./वि.)/मसारावेविप्र/

दिनांक : 07/09/2023

कार्यालय ज्ञापन - 1295

विषय : प्रतिष्ठान से अनुदानित वेद पाठशालाओं/गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में भोजन समिति का गठन- उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व।

प्रतिष्ठान द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त सभी वेद पाठशालाओं/वेद विद्यालयों की प्रबंधन समितियों का उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में प्रतिष्ठान के कार्यालय आदेश/सम संख्या दिनांक 11-03-2022 और 24-05-2023 की ओर आकर्षित किया जाता है।

प्रतिष्ठान से अनुदानित समस्त वेदपाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में अध्ययनरत वित्तपोषित छात्रों के रखरखाव हेतु भारत सरकार द्वारा राशि रू. 3500/- प्रतिमाह / प्रति छात्र के लिए वेदपाठशाला प्रबंधन / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक के बैंक खातों में मासिक आधार पर भुगतान की जाती है। रखरखाव छात्रवृत्ति राशि छात्रों के भोजन (नाश्ता, दोपहर का भोजन, दोपहर का नाश्ता और रात का खाना), आवास, कपड़े और अन्य विविध व्यवस्थाओं हेतु प्रदान की जाती है।

प्रतिष्ठान द्वारा कई वेद पाठशालाओं/गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों में की गई आवधिक समीक्षाओं से पता चला है कि यद्यपि वेद पाठशालाओं/वेद विद्यालयों की स्थितियों में कुछ हद तक सुधार हुआ है, फिर भी उपलब्ध संसाधनों के और सुधार तथा बेहतर उपयोग की गुंजाइश है।

कई वेद पाठशालाओं/गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए जा रहे भोजन और आवास की गुणवत्ता अभी भी संतोषजनक नहीं है तथा वेदपाठशालाओं को प्रतिष्ठान / भारत सरकार द्वारा प्रति छात्र हेतु प्रदान की जा रही रखरखाव छात्रवृत्ति के अनुरूप नहीं है। यह देखा गया है कि कुछ वेद पाठशालाओं/वेद विद्यालयों में खाद्य समितियों ने अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ नहीं निभाया है और छात्रों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के साथ-साथ मात्रा भी सुनिश्चित नहीं की है। प्रत्येक दिन संबंधित खाद्य समिति को भोजन की गुणवत्ता और मात्रा की जांच करनी होगी और विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुरूप आदर्श आवश्यकता के अनुरूप किराना, सब्जियां, दूध आदि की खरीद के लिए वाउचर पर प्रमाणित करना होगा।

वेद पाठशालाओं/वेद विद्यालयों के प्रबंधन और विशेष रूप से खाद्य समितियों के ध्यान में लाया जाता है कि छात्रों की रखरखाव छात्रवृत्ति की राशि के उन उद्देश्यों के लिए उचित उपयोग के पहलू पर गौर किया जा सके जिनके लिए उन्हें मंजूरी दी गई है। दिनांक 24-05-2023 के कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट मानकों का पालन किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, वेद पाठशालाओं/वेद विद्यालयों के प्रबंधन को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिष्ठान द्वारा जारी आनुषंगिक अनुदान के खर्च के लिए भी खाद्य समितियों को जिम्मेदार बनाएं। विद्यालयों के प्रबंधन को खाद्य समितियों के माध्यम से आकस्मिक राशि का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए और समिति प्रणाली के माध्यम से ही सभी खरीदारी की जानी आवश्यक है।

प्रतिष्ठान के पूर्व में जारी किए गए निर्देश के क्रम में सूचित है, कि आनुषंगिक अनुदान का उपयोग पाठशाला में शुद्ध पीने के पानी के लिए आरोग्य, प्राथमिक चिकित्सा सम्बन्धी सामान एवं दवाइयों, कार्यालय में एक कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर, पाठशाला परिसर में स्वच्छता बनाए रखने एवं छात्रों के विविध रखरखाव सम्बन्धी कार्यों में व्यय की जा सकती है। उपर्युक्त समस्त कार्यों हेतु बहुत ही सावधानीपूर्वक व्यय कर होने वाले व्यय की निगरानी भोजन समिति द्वारा की जानी आवश्यक है।

प्रतिष्ठान की शासी परिषद के निर्देशानुसार वेदपाठशालाओं / विद्यालयों का समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाएगा। छात्रों के वेद अध्ययन के लिए उचित सुविधाएं और आदर्श सुनिश्चित करने में विफल होने पर पाठशाला/ गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों को प्रतिष्ठान से मिलने वाली वित्तीय सहायता को जम्ब करने के लिए उत्तरदायी होंगी।

जहां तक गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों का सवाल है, भोजन समिति के गठन को छोड़कर उपरोक्त सभी शर्तें लागू हैं और इकाइयों के संबंधित वेद गुरुओं को प्रबंधन के रूप में माना जाएगा।

इसे आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए इस अधिसूचना के माध्यम से सभी वेद पाठशालाओं/इकाइयों के प्रबंधन और सभी शिक्षकों के ध्यान में लाया गया है।


(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)

सचिव

पतिलिपि : समस्त वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों को सूचनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।